राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 : विश्लेषणात्मक अध्ययन

ऐश्वर्या सिंह
असिस्टेंट प्रोफेसर,शिक्षाशास्त्र विभाग
नवयुग कन्या महाविद्यालय, लखनऊ

शोध–सार

भारतीय दर्शनो में ज्ञान शब्द वही अर्थ रखता है, जो कि व्यापक आर्थो में ''शिक्षा'' का होता है। भारतीय दर्शनो में केवल सूचना अथवा तथ्यो के लिए 'ज्ञान' शब्द का प्रयोग नहीं होता है, ज्ञान का विषय तो मुक्ति है। किसी भी शैक्षिक प्रणाली का उद्देश्य अच्छे इंसानो का विकास करना है जो तर्कसंगत विचार और कार्य करने में सक्षम हो , जिसमें करूणा, रचनात्मक कल्पना शक्ति, नैतिक मूल्य और सृजनात्मकता हो। प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आधारभूत सिद्धान्तो का पता लगाना है तथा यह जानने की कोशिश करना है कि किन– किन सिद्धान्तो को आधार मानकर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का निर्माण किया गया है जिसके कुछ प्रमुख सिद्धान्त इस प्रकार है – भारत का संविधान, प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948, शिक्षा आयोग 1964, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 इत्यादि। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निहित प्रमुख बातें जैसे अवधारणात्मक समझ पर जोर, रचनात्मक और तार्किक सोच व निर्णय लेने को प्रोत्साहन, आर्टिफीशियल इंटेलीजेन्स, वोकेशनल पढ़ाई पर मुख्य जोर, क्षेत्रीय भाषा का महत्व, लचीलापन इत्यादि वर्तमान समय में चर्चा का विषय है। प्रस्तुत अध्ययन के पश्चात हम उपरोक्त तथ्यो का विश्लेषण कर सकेंगे।

मुख्य शब्द–*राष्ट्र, शिक्षा, नीति।*

प्रस्तावना – शिक्षा पूर्ण मानव क्षमता को प्राप्त करने, एक न्याय संगत और न्यायपूर्ण समाज के विकास और राष्ट्रिय विकास को बढावा देने के लिए मूलभूत आवश्यकता है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुँच प्रदान करना वैश्विक मंच पर समाजिक न्याय और समानता वैज्ञानिक उन्नति, राष्ट्रीय एकीकरण और सांस्कृतिक संरक्षण के संदर्भ में भारत की सतत् प्रगति और आर्थिक विकास की कुंजी है।

सार्वभौमिक उच्चतर स्तरीय शिक्षा वह उचित माध्यम है, जिससे देश की समृद्ध प्रतिभा और संसाधनो का सर्वोत्तम विकास और संवर्द्धन व्यक्ति, समाज, राष्ट्र और विश्व की भलाई के लिए किया जा सकता है। अगले दशक मे भारत दुनिया का सबसे युवा जनसंख्या वाला देश होगा और इन युवाओ को उच्चतर गुणवत्तापूर्ण शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराने पर ही भारत का भविष्य निर्भर करेगा।

भारत द्वारा 2015 में अपनाए गए सतत् विकास एजेंडा 2020 के लक्ष्य 4 (एस डी जी 4) में उपलक्षित वैश्विक शिक्षा विकास एजेंडा के अनुसार विश्व में 2030 तक '' सभी के लिए समावेशी और समान गुणवत्तायुक्त शिक्षा सुनिश्चित करने और जीवन–पर्यंत शिक्षा के अवसरों को बढावा दिए जाने का लक्ष्य है। (पृसं0 245, भारतीय शिक्षा पद्वति का विकास एवं चुनौतियॉ– डा0 सीताराम जायसवाल) शैक्षिक प्रणाली का उद्देश्य आच्छे इंसानो का विकास करना है जो तर्कसंगत विचार और कार्य करने में सक्षम हो जिसमें करूणा और सहानुभूति, साहस और लचीलापन, वैज्ञानिक चिंतन और रचनात्मक कल्पना शक्ति, नैतिक मूल्य और सृजनात्मकता हो।

प्रस्तुत अध्ययन का का उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आधारभूत सिद्धांतों का पता लगाना है तथा यह जानने की कोशिश करना है कि किन–किन सिद्धांतों को आधार मानकर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का निर्माण किया गया है जिस प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन अग्रलिखित है–

भारत का संविधान और राष्ट्रीय शिक्षा नीति –

स्वतंत्र होने के हमने अपने देश के संविधान का निर्माण किया। संविधान सभा ने 26 नवम्बर 1949, को पेश किया और 26 जनवरी, 1950 से यह हमारे देश में लागू हुआ। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इस संविधान का निर्माण देश के विभिन्न प्रान्तों की विधानसभाओं से चुने हुए प्रतिविधियों तथा देशी राज्यों के प्रतिविधियों से संविधान सभा में किया गया। भारत एक ऐसा देश है जो स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृव्य, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और न्याय पर आधारित व्यवस्था है। किसी भी देश की शैक्षिक प्रणाली उस देश की सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक तथा आर्थिक व्यवस्था से प्रभावित होती है। भारत एक ऐसा देश है जहां अनेक प्रकार की विविधताएं विद्यमान है अतः संविधान निर्माताओं के सामने बड़ी चुनौतियाँ थी एक ओर देश का स्थायित्व करना। संविधान के निर्माण जितना कठिन कार्य शैक्षिक प्रणाली का निर्माण और विकास भी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के निर्माण का प्रमुख आधार भारत का संविधान है क्योंकि जिस प्रकार भारत के संविधान में भारत की भाषायी विविधता, आर्थिक विविधता, लैंगिक विविधता, धार्मिक विविधता इत्यादि को ध्यान में रखकर नागरिकों के मूल अधिकार एवं मूल कर्तव्य का निर्माण किया गयाउसी प्रकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी भारत के संविधान की प्रमुख विशेषताओं को ध्यान में रखा गया है।

भारतीय संविधान में निहित प्रमुख राष्ट्रीय मूल्य जैसे न्याय, स्वतंत्रता, समानता इत्यादि संविधान के प्रमुख सिद्धांतों का राष्ट्रीय शिक्षा नीति से क्या संम्बन्ध है। निम्न प्रकार से समझा जा सकते हैं

न्याय की भावना एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020

भारत के संविधान में तीन प्रकार के न्याय की बात कही गयी है– समाजिक न्याय, आर्थिक न्याय एवं राजनैतिक न्याय। किसी भी देश की शिक्षा प्रणाली तभी न्याय की व्यवस्था कर पायेगी जब हर बच्चे की विशिष्ट समताओं की स्वीकृति, योग्यता एवं क्षमता को ध्यान में रखकर अवसरों की समानता देना हर देश के संविधान का कर्तव्य होता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में सामाजिक,आर्थिक एवं राजनैतिक न्याय को आधार मानकर शिक्षा की व्यवस्था करने का प्रयास किया गया है।

स्वतंत्रता की भावना एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020

संविधान में प्रत्येक नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार दिया है, संगठन एसोसिएशन बनाने का अधिकार दिया गया है। सारे देश में स्वतंत्र रूप से भ्रमण करने का देश के किसी भी भाग में रहने का स्थान चुनने का अधिकार है। उसे अपनी भावना अभिव्यक्त करने का अधिकार दिया गया है। अपनी निजी संस्कृति, धर्म का संवर्द्धन करने का अधिकार है। संविधान में स्वतंत्रता की रक्षा के लिए तथा शोषण से रक्षा के लिए अनेक अधिकार भारतीय नागरिकों को दिए है किन्तु इनका उपयोग उचित रूप से तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि व्यक्ति उनको उस भावना से ग्रहण करें जिस भावना से वे प्रदान किए गए है।

उपरोक्त कार्य केवल शिक्षा के द्वारा ही किया जा सकता है किसी भी देश की शैक्षिक प्रणाली का उपयोग राष्ट्र की एकता व अखण्डता को बनाए रखने के लिए, सामाजिक सद्भावना को बनाए रखने के लिए किया जा सकता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अन्तर्गत यह कोशिश की गई है प्रत्येक बच्चे को यह स्वतंत्रता दी जाये कि वह अपनी योग्यता, क्षमता व रूचि के अनुसार पाठ्यक्रम व पाठ्यविषयों का चयन कर सके। स्नातक स्तर पर छात्रों के अन्तर विषयक पढ़ाई करने का भी विकल्प दिया गया है। छात्रों को यह भी स्वतंत्रता दी गयी है कि वह अपने संकाय के अतिरिक्त अन्य संकाय से भी विषय का चुनाव कर सकता है। छात्रों को मल्टीपल एन्ट्री मल्टीपल एक्जिट की सुविधा भी दी गयी है। जिसका प्रमुख आधार भारतीय संविधान में निहित स्वतंत्रता की भावना है।

समानता की भावना एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020– स्तर एवं अवसरों की समानता के बारें में

संविधान में कहा गया है कि यह अधिकार देश के कानून के समक्ष सबकों बराबर मान्यता देता है। प्रत्येक नागरिक को कानून का सरंक्षण प्राप्त करने का अधिकार है। कानून किसी भी नागरिक के साथ जाति, वर्ग या धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। कानून सबके लिए समान है। समानता का अधिकार उस समय ही प्रभावपूर्ण होता है जब इसे व्यवहार में लाने योग्य हो। यह योग्यता शिक्षा से ही आती है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अन्तर्गत सभी वर्गों को ध्यान में रखकर समानता पर विशेष बल दिया गया है। सभी शैक्षिक निर्णयों की आधारशिला के रूप में पूर्ण समता एवं समावेशन को महत्वपूर्ण माना गया है। तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी छात्र शिक्षा प्रणाली में सफलता प्राप्त कर सके, शिक्षा को लोगों तक पहुँच और सामर्थ्य के दायरे में रखने का प्रयास किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के निर्माण में संविधान प्रमुख आधार है यह कहना गलत नहीं होगा।

प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली और राष्ट्रीय शिक्षा नीति

मानव स्वभाव से जिज्ञासु प्राणी है उसकी यह जिज्ञासा ही उसे चिंतन ,तर्क, विचार–विमर्श, परीक्षण और वास्तविकता की ओर ले जाता है। शिक्षा की भारतीय अवधारणा ''जीवन को प्रकाशित करने वाली ज्योति के रूप में मानी गयी है जो विश्व के प्रत्येक मनुष्य में मनुष्यत्व का भाव जाग्रत कर उसके जीवन को उच्च से उच्चता बनाती है। प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली में शिक्षा को ज्ञान का पर्याय माना गया है। शब्द 'विद्या' संस्कृत की विद् धातु से उद्भूत माना जाता है। जिसका अर्थ जानना या सीखना होता है।

'' विद्या नाम नरस्यरूपमधिक।
प्रच्छन्न गुप्त धनम् ।।
विद्या भोगकारी यशःसुखकारी।
विद्या गुरूणा गुरू : ।।

विद्या सुखोपभोग और यश देने वाली है। विद्या गुरूओं की गुरू है।

भारतीय संविधान में स्थापित किये गये मूल्य तथा निरन्तर गतिमान परिस्थितियों में समाज की जटिलता के अनुसार इस दिशा में निरन्तर परिवर्तन हुए है जिन्होने संविधान को सशक्त किया है और शिक्षा का विस्तार और व्यापक अर्थ प्रयुक्त किया है।

भारत की प्राचीन शिक्षा प्रणाली अत्यंत समृद्ध एवं सशक्त थी। प्राचीन भारत में शिक्षा सभी के लिए निःशुल्क थी शिक्षा पर कोई वाह्य नियंत्रण नहीं था। शिक्षा केवल गुरूकुल का ही विषय थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अन्तर्गत भारत की प्राचीन परम्परा को जीवन्त करने की कोशिश की गई है तथा शिक्षा के द्वारा यह कोशिश की जा रही है कि भारतीय अपने जड़ों और गौरव से बंधे रहे, और जहाँ सासंरिक लगे वहां भारत की समृद्ध, विविध प्राचीन और आधुनिक संस्कृति और ज्ञान प्रणालियों और परम्पराओं को शामिल किया जाये। प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली के अन्तर्गत बालक के सर्वांगीड़ विकास पर बल दिया जाता था इसी को आधार मानकर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को भी यह कोशिश की गई है कि शिक्षा द्वारा बालक का सर्वांगीड़ विकास किया जाये इसके लिए नैतिकता, मानवीय और संवैधानिक मूल्य जैसे सहानुभूति, दूसरो के लिए सम्मान, स्वच्छता, शिष्टाचार, सेवा की भावना, वैज्ञानिक चिंतन, रचनात्मक व तार्किक सोच तथा नवाचार को प्रोत्साहित करके बच्चों को सर्वांगीड़ विकास की तरफ अग्रसर करने प्रयास हो रहा है।

1. विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग (1948–49) और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020

15 अगस्त 1947 को भारत स्वंतत्र हुआ तथा 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। स्वतंत्रता के पहले भारत में कई आयोगों का गठन हो चुका था। सभी आयोगों ने अपने कार्य–क्षेत्र को ध्यान में रखकर सुझाव दिए। दिये गये सुझावों की समीक्षा के बाद सिफारिशों को लागू भी किया गया। 1882 में हण्टर कमीशन ने प्राथमिक शिक्षा के सम्बन्ध में सुझाव दिये। 1901 में कर्जन कमीशन ने विश्वविद्यालयी शिक्षा

के सम्बन्ध में सुझाव दिए। स्वतंत्रता के बाद विश्वविद्यालयी शिक्षा का निरन्तर विकास हो रहा था, किन्तु सभी शिक्षाशास्त्री यह अनुभव कर रहे थे कि यह शिक्षा किसी भी स्वतंत्र एवं जनतांत्रिक देश के लिए सर्वथा अनुपयुक्त थी। अतः सभी दिशाओं से इसके पुनर्संगठन की मांग की गई। केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड तथा अर्न्तविश्वविद्यालय शिक्षा परिषद दोनों ही भारत सरकार को एक विश्वविद्यालय आयोग नियुक्त करने की सलाह दी।

भारत सरकार ने 4 नवम्बर 1949 को एक विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग नियुक्त किया इस आयोग के अध्यक्ष डॉ0 सर्वपल्ली राधाकृष्णन थें। आयोग ने अपनी रिपोर्ट 25 अगस्त 1949 को भारत सरकार के समक्ष प्रस्तुत की। आयोग ने विश्वविद्यालयी शिक्षा के कई उद्देश्य बताए जैसे– विद्यार्थियों में विश्वबन्धुत्व की भावना का विकास करना, न्याय, समानता, स्वतंत्रता तथा बंधुत्व के आर्दशों का संरक्षण तथा संर्वधन, ज्ञान की विभिन्न शाखाओं का समन्वय, मानवीय भावनाओं का विकास आदि (पृ0सं0 154, भारत में शैक्षिक प्रणाली का विकास, डॉ0 मालती सारस्वत व प्रो0 एस0एल0 गौतम)।

राधाकृष्णन आयोग द्वारा दिये गये सुझावों में से एक सुझाव ज्ञान की विभिन्न शाखाओं का समन्वय' अत्यंत ही प्रासंगिक प्रतीत होता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अन्तर्गत ज्ञान की विभिन्न शाखाओं में समन्वय करने की कोशिश की गयी है। तथा यह वर्णन किया गया है कि कला और विज्ञान के बीच, पाठ्यक्रम और पाठ्येतर गतिविधियों के बीच व्यावसायिक और शैक्षणिक धाराओं, आदि के बीच कोई स्पष्ट अलगाव न हो जिससे ज्ञान क्षेत्रों के बीच हानिकारक ऊँच–नीच और परस्पर दूरी एवं असंबद्धता को दूर किया जा सके। अतः यह कहा जा सकता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का एक प्रमुख आधार राधाकृष्णन आयोग ळें।

शिक्षा आयोग 1964 तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020

राधाकृष्णन आयोग के सुझावों को लागू करने के बाद स्वंतत्र भारत में प्रथम ऐसे आयोग की नियुक्ति की गयी जिसने माध्यमिक शिक्षा के बारे में सुझाव दिये जिसके अध्यक्ष डॉ0 लक्ष्मण स्वामी मुदालियर थे और इन्ही के नाम से इस आयोग मुदालियर आयोग के नाम से भी जाना जाता है। इसके पश्चात् आचार्य नरेन्द्रदेव समिति 1939 प्रथम तथा 1952–53 में आचार्य नरेन्द्रदेव समिति द्वितीय का गठन किया गया। किन्तु स्वतंत्र भारत में एक ऐसे आयोग की आवश्यकता महसूस की गई जो शिक्षा के सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर सुझाव दें। देश का जितना हित शिक्षा से हो सकता है उतना किसी अन्य उपकरण से नहीं। शिक्षा में सुधार के लिए शिक्षा को सम्पूर्ण क्षेत्र की जाँच आवश्यक है, क्योंकि शिक्षा का एक क्षेत्र दूसरों को प्रमाणित करता है। देश में गठित पिछली समितियों एवं आयोगों ने शिक्षा के विशेष अंगों पर अलग–अलग अध्ययन किया। देश की सम्पूर्ण शिक्षा को एक इकाई मानकर उसका सूक्ष्म अध्ययन करने हेतु 1964 में एक ''शिक्षा आयोग'' नियुक्त किया गया जिसके अध्यक्ष डॉ0 दौलत सिंह कोठारी थे। भारत सरकार ने आयोग की नियुक्ति का यह उद्देश्य बताया –शिक्षा के राष्ट्रीय स्वरूप और शिक्षा के सभी स्तरों तथा सभी प्रश्नों के सम्बन्ध में सामान्य सिद्धांतों एवं नीतियों के विषय में सरकार को सुझाव देना''। कोठारी आयोग ने शिक्षा के लगभग सभी पहलुओं का अध्ययन किया और शिक्षा

का एक पंचमुखी कार्यक्रम प्रस्तुत किया–शिक्षा को उत्पादकता से जोड़ना, शिक्षा के द्वारा लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करना, शैक्षिक क्रियाकलापों के माध्यम से सामाजिकता तथा राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करना, शिक्षा के द्वारा नैतिक, आध्यात्यामिक तथा सामाजिक मूल्यों का विकास तथा जिज्ञासा की प्रवृत्ति, मनोवृत्ति–प्रकृति और मानवीय मूल्यों के द्वारा कौशल का विकास करते हुए सामाजिक आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को प्रस्तुत करना। कोठारी आयोग द्वारा दिये सुझाव आज भी प्रासंगिक है कोठारी आयोग की सिफारिश पर ही प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968में आई थी।,

आयोग द्वारा दिया गया सुझाव कि जीडीपी का 6 प्रतिशत शिक्षा पर खर्च करना चाहिए 1968 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी दोहराया गया। इसके बाद 1986 की शिक्षा नीति में भी जी0डी0पी0 का 6 प्रतिशत शिक्षा पर खर्च करने की बात कही गई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी शिक्षा पर जी0डी0पी0 का 6 प्रतिशत खर्च करने की सिफारिश की गयी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का प्रमुख आधार कोठारी कमीशन के सुझाव है। अवसरों की समानता, मातृभाषा में शिक्षा, वाह्य परीक्षाओं के स्थान पर आन्तरिक एवं निरन्तर मूल्यांकन प्रणाली पर बल दिया, अच्छे कार्य करने वाले कॉलेजों को स्वायत्ता प्रदान करना इत्यादि कोठारी कमीशन ने अपने सुझावों में शामिल किया था। इसी को आधार मानकर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अन्तर्गत भी अवसरों की समानता, मातृभाषा में शिक्षा, कॉलेजों को स्वायत्ता देने इत्यादि पर बल दिया गया है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020

भारत सरकार ने जनवरी 1985 में नयी शिक्षा नीति के निर्धारण का संकल्प किया। राष्ट्रीय शैक्षिक परिदृश्य की पूर्णरूपेण समीक्षा की गई। अगस्त 1985 में ''शिक्षा की चुनौती''नामक दस्तावेज प्रस्तुत हुआ। विचार–विमर्श के उपरान्त पुनः 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का दस्तावेज प्रकाशित किया गया, जिसका आधार 1968 में अपनाई गयी शिक्षा नीति थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से 34 वर्ष पहले 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षा द्वारा सांस्कृतिक सम्भावनाओं को बढ़ाने की कोशिश की, मूल्यों की शिक्षा पर विशेष बल दिया गया। गणित और विज्ञान शिक्षण, खेल और शारीरिक शिक्षा, कार्यानुभव इत्यादि पर बल दिया गया।

34 वर्ष के बाद देश में एक और शिक्षा नीति आई जिसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के नाम से जाना जा रहा है। इस शिक्षा नीति का प्रमुख आधार 1986 में गठित राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। इस शिक्षा नीति में यह लचीलापन रखा गया है जिससे शिक्षार्थियों के अन्दर सीखने के तौर–तरीकों और कार्यक्रमों को चुनने की क्षमता विकसित हो और इस तरह वे अपनी प्रतिभा और रूचियों के अनुसार के अनुसार जीवन में अपना रास्ता चुन सके। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को आधार मानकर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अन्तर्गत भी तकनीकी के यथासंभव उपयोग पर जोर दिया जा रहा है। शिक्षा के द्वारा भारतीय जड़ों और गौरव को बढ़ावा देना, शिक्षा को एक सार्वजनिक सेवा मानना तथा संसाधन कुशलता पर बल देना इत्यादि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रमुख सिद्धांत है जिसका एक आधार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 है।

निष्कर्ष

शिक्षा किसी समाज में सदैव चलने वाली वह सोद्देश्य समाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य कि जन्मजात शक्तियो का विकास, उसके ज्ञान एवं कला कौशल में वृद्वि तथा व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है और इस प्रकार उसे सभ्य सुसंस्कृत एवं योग्य नागरिक बनाया जाता है। इसके बाद व्यक्ति एंव समाज दोनो निरंतर विकास करते है (पृ0सं0 9, शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय आधार) शिक्षा ही एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा मनुष्य को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाया जा सकता है।

राष्ट्रीय विकास हेतु समय–समय पर भारत सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के द्वारा राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय आवश्यकताओ के अनुसार शिक्षा व्यवस्था में बदलाव लाने कि कोशिश की। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एक ऐसी शिक्षा नीति है जिसने भारत की सम्पूर्ण प्राचीन परम्पराओ को समेटते हुए आधुनिकीकरण के साथ समन्वय किया है। जिस प्रकार विवेकानन्द ने भाषा के समन्वय पर बल दिया, संस्कृति के समन्वय पर बल दिया उसी प्रकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने भी हर जगह समन्वय करने की कोशिश की गयी है।

सन्दर्भ सूची–

1. ओड़ लक्ष्मीलाल के (2010), शिक्षा की दार्शनिक पृष्ठभूमि, जयपुर : राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी ।

2. पाल एस. के. गुप्त, लक्ष्मी नारायण व मोहन मदन (1884), शिक्षा दर्शन, इलाहाबादः कैलाश प्रकाशन।
3. गुप्त लक्ष्मीनारायण एवं मोहन मदन (2009), शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय आधार, इलाहाबादः कैलाश प्रकाशन।
4. विवेकानन्द स्वामी (2014) प्राच्य और पाश्चात्य (सत्रहवाँ पुर्नमुद्रण), रामकृष्ण मठ रामकृष्ण आश्रम मार्ग धन्तोली।
5. शास्वत मालती, मदन मोहन (2000), भारतीय शिक्षा का इतिहास एवं समस्याएं, इलाहाबाद कैलाश प्रकाशन।
6. एन. सी. एफ.(2005) राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, नई दिल्ली : राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं परिक्षण परिषद।
7. विवेकानन्द स्वामी (2014) प्राच्य और पाश्चात्य (सत्रहवाँ पुर्नमुद्रण), रामकृष्ण मठ रामकृष्ण आश्रम मार्ग धन्तोली।
8. विवेकानन्द स्वामी (2016), शिक्षा का आदर्श (षष्ठ पुर्नमुद्रण), नागपुर : रामकृष्ण मठ रामकृष्ण आश्रम धन्तोली।
9. गुप्ता एस. पी. (2018), मुक्त एवं दुरस्थ शिक्षा, इलाहाबादः शारदा पुस्तक भवन।
10. पाण्डेय रामशकल (2010) उदीयमान भारतीय समाज में शिक्षक, आगराः अग्रवाल।
11. पाण्डेय कामता प्रसाद (2005) शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजिक आधार, विश्वविद्यालय प्रकाशनः वराणसी।
12. मालवीय राजीव, विजिटिंग फैकेल्टी, चर (2012), शिक्षा के मूल सिद्वान्त, शारदा पुस्तक भवनः इलाहाबाद।
13. विवेकानन्द स्वामी (2015), शिक्षा का आदर्श, (षष्ठ पुर्नमुद्रण) नागपुर : रामकृष्ण मठ रामकृष्ण आश्रम मार्ग धन्तोली
14. जायसवाल सीताराम (2021) , भारतीय शिक्षा पद्वति का विकास एवं चुनौतियाँ – 1 , प्रकाशन केन्द्र : लखनऊ।
15. जायसवाल सीताराम (2020), शिक्षा विचार एवं विधियाँ, प्रकाशन केन्द्र : लखनऊ।
16. Bhola P. (2018) , Education and Society, Laxmi Narayan Agarwal : Agra
17. Shodhganga inflibnet.ac.i
18. http://him.wikipedia.org
19. Shodhganga inflibnet.ac.i
20. http://him.wikipedia.org